रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062023-246719
CG-DL-E-21062023-246719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2023/ज्येष्ठ 31, 1945
No. 363] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2023/JYAISHTHA 31, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 452(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115खकग की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (iii), उपधारा (3) के दूसरे परंतुक और उपधारा (6) तथा धारा 115खकङ की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,--

(क) नियम 2खख में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मचारी, जो ऐसा निर्धारिती हैं,--

(i) जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ;

(ii) जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है,

वह केवल उपनियम (1) के उपखंड (क) से उपखंड (ग) तक और जिस सीमा तक उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी के क्र. सं. 11 पर है और यदि कोई इसमें विनिर्दिष्ट की गई है, तो उसके अधीन रहते हुए, इसमें उल्लिखित भत्तों के संबंध में छूट प्राप्त करने का पात्र होगा ।";

(ख) नियम 3 के उपनियम (7) के खंड (iii) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि संदत्त वाऊचर के माध्यम से नियोजक द्वारा प्रदान किए गए नि:शुल्क भोजन और गैर-एल्कोहालिक पेय के संबंध में पहले परंतुक के उपबंध किसी कर्मचारी पर, जो एक ऐसा निर्धारिती है, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है या जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, लागू नहीं होंगे ।";

(ग) नियम 5 के उपनियम (1) में,--

(क) पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु किसी आस्ति समूह के अवक्षयण के संबंध में धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन मोक निम्नलिखित मामलों में ऐसी आस्ति के समूह के अवलिखित मूल्य के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,--

(i) कोई घरेलू कंपनी, जिसने धारा 115खक की उपधारा (4) के अधीन या धारा 115खकक की उपधारा (5) के अधीन या धारा 115खकख की उपधारा (7) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ; या

(ii) कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ; या

(iiक) कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यष्टियों का संगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है ; या

(iii) भारत में निवासी कोई सहकारी समिति, जिसने धारा 115खकघ की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ; या

(iv) भारत में निवासी कोई सहकारी समिति, जिसने धारा 115खकङ की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है :";

(ख) तीसरे परंतुक में, "धारा 115खकग के प्रयोजनों के लिए" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 115खकग [जैसी वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उसमें संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] के प्रयोजनों के लिए" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यह और कि जहां आय, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, 1 अप्रैल, 2023 को आय आस्ति समूह के अवलिखित मूल्य, ऐसे अवक्षयण द्वारा बढ़ाया जाएगा, जो धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) के कारण हुआ माना जा सकता है और धारा 115खकग की उपधारा (2) के खंड (ii) के उपखंड (क) के अधीन मुजरा करने के लिए अनुज्ञात नहीं है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :--

(i) निर्धारिती ने 1 अप्रैल, 2023 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है ; और

(ii) आस्ति समूह के संबंध में ऐसा अवक्षयण मोक है, जिसे 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व, पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, और जो धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) के उपबंधों के परिणामस्वरूप है ।";

(घ) नियम 21कछ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**21कछक. धारा 115खकग की उपधारा (6) के अधीन विकल्प का प्रयोग—** (1) व्यक्ति, व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब होने पर, या व्यक्तियों का कोई संगठन (सहकारी सोसाइटी से अन्यथा) या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, द्वारा धारा 115खकग की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार विकल्प का प्रयोग किए जाने के लिए, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए,--

(क) कारबार या वृत्ति से आय वाले व्यक्ति की दशा में, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पूर्व प्ररूप 10झडक में ;

(ख) खंड (i) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है की दशा में, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत आय की विवरणी में ।

(2) धारा 115खकग की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन विकल्प की वापसी भी प्ररूप 10झडक में होगी ।

(3) प्ररूप 10झडक को अंकीय हस्ताक्षर या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया
जाएगा ।

(4) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली),-

(क) प्ररूप 10झडक के प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट करेगा ;

(ख) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए, उपनियम (3) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के सृजन के डाटा संरचना, मानकों और रीति को विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(ग) इस प्रकार से प्रस्तुत किए गए प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" से, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट डाटा संरचना और मानकों के अनुसार प्ररूप प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन के प्रयोजनों के लिए सृजित कोड अभिप्रेत है ।';

(ङ) मूल नियम के परिशिष्ट में, प्ररूप 10झङ के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप संख्या 10 झङक

[नियम 21 कछक देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकग की उप-धारा (6) के खंड (झ) के अधीन विकल्प के प्रयोग के लिए आवेदन या धारा 115खगक की उप-धारा (6) के उपबंध के अधीन विकल्प की वापसी

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

.....
.....

क्र .सं .					
1	नाम				
2	पैन				
3	धारा 115 खकग की उप धारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति की स्थिति				
4	निर्धारण वर्ष जिसके लिए प्ररूप प्रस्तुत किया जा रहा है	वर्ष -वर्ष			
5	धारा 115 खकग की उप-धारा (1क) के अधीन प्रदान की गई व्यवस्था से बाहर निकलना या फिर से प्रवेश करना	बाहर निकलना/फिर से प्रवेश करना			
6	यदि 5 में इनपुट के अनुसार पुनः प्रवेश कर रहे हैं, तो पहले प्रयोग किए गए विकल्प का विवरण प्रदान करें।	कार्य करने की तारीख प्ररूप संख्या 10झडक में धारा 115ख ग की उप-धारा (6) के खंड (i) के अधीन बाहर निकलने का विकल्प		पहला निर्धारण वर्ष जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया था।	
		डीडीवर्ष/महीना/		20	
7	क्या अंतर्राष्ट्रीय में कोई इकाई है: वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), जैसा कि धारा 80ठक की उप-धारा (1क) में निर्दिष्ट है (यदि पंक्ति 5 के अनुसार फिर से प्रवेश कर रहा है)	हांनहीं/			
8	यदि हाँ तो 7 में, आईएफएससी में इकाइयों के बारे में विवरण प्रदान करें: (इकाइयों की संख्या के आधार पर स्तंभ की संख्या जोड़ें)		इकाई 1	इकाई 2	इकाई 3
		(1)	(2)	(3)	(4)
		इकाई का नाम			
		इकाई का पता			
		संचालित इकाई की प्रकृति क्रियाकलाप			

उपक्रम

मै.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(पूरा नाम और स्पष्ट अक्षरों में) जिनके पास पैन है..... व्यक्ति के मामले में) घोषणा करते हैं कि सर्वोत्तम मेरी जानकारी और विश्वास है कि उपरोक्त प्ररूप में जो कथन किया गया है वह सही और पूर्ण है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं अपनी हैसियत से..... (पदनाम) ऐसा कथन कर रहा हूं और मैं यह घोषणा करने और यह प्ररूप भरने के लिए सक्षम हूं।

मैं. यह और घोषणा करता हं कि क्रम सं. 2 पर वर्णित पैन धारण करने वाले. क्रम सं. 1 विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय, क्रम संख्या 4 में विनिर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के दौरान "कारबार या वृत्ति से लाभ और प्राप्ति" शीर्ष के अधीन है।

मैं. अधिनियम की धारा 115खकग की उप-धारा (1क) को पन: प्रवेश करने की घोषणा भी करता हं. जो क्रम सं. 2 पर वर्णित पैन धारण करने वाले क्रम सं. 1 पर विनिर्दिष्ट व्यक्ति धारा 115खकग की उप-धारा (1क) से बाहर निकलने के विकल्प के लिए अपात्र होगा।

स्थान :

तारीख:

आपका,
हस्ताक्षर.....*
नाम.....

पद का नाम..

पता.....

*अधिनियम की धारा 140 के उपबंध के अनुसार धारा 2 के खंड (31) के खंड (vii) अनुसार व्यष्टि/एचयूएफ/व्यक्तियों के संघ (एक सहकारी समिति के अलावा अन्य)/व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं/ उप-खंड में निर्दिष्ट एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की आय की वापसी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति का हस्ताक्षर।

टिप्पण : व्यक्ति की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

क्रसं.		कोड
(i)	व्यक्ति	1
(ii)	हिंदू अविभाजित कुटुंब (एचयूएफ)	2
(iiii)	व्यक्तियों का संघ (एक सहकारी समिति के अलावा)	3
(iv)	व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं	4
(v)	अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	5"।

[अधिसूचना सं. 43/2023/फा. सं. 370142/15/2023-टीपीएल]

कमलेश चन्द्र वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि 432(अ) तारीख 12 जून, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।